राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(82)/ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/बीएसआर/बाडमेर/2015–16 जयपुर, दिनांक 18 सितम्बर, 2015

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र),
बाडमेर, राजस्थान।

विषय :– ग्रा.का.नि.– 2010 के पैरा 13.0 ''ठेके पर कराये जाने वाले कार्यों'' की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।
प्रसंग :– आपका पत्रांक 1227 दिनांक 25.06.2015.

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2010 के स्थान पर विभागीय परिपत्र 17/2015 दिनांक 18.08.2015 द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2015 जारी कर तुरन्त प्रभाव से लागू कर दी गई है।

ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2015 के भाग संख्या 1 के अनुच्छेद संख्या 46 में कार्यकारी संस्था व लाईन विभाग द्वारा कार्य सम्पादन करवाये जाने की प्रक्रिया/निर्देश वर्णित है।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि दिनांक 18 अगस्त, 2015 से प्रभावी ग्रामीण कार्य निर्देशिका का दिनांक 08–09 सितम्बर, 2015 को जिला स्तरीय तकनीकी व लेखा अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कर बिन्दुवार विस्तृत जानकारी दी जा चुकी है, जिसमें आपके जिले से लेखा व तकनीकी अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया है।

अतः आपसे अनुरोध कि ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2015 में ग्रामीण विकास के कार्य सम्पादित करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया वर्णित होने के उपरान्त भी उच्चाधिकारियों को भ्रामक जानकारी देते हुये अनावश्यक पत्राचार कर समय व्यर्थ न करें।

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव पंरावि।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रावि/पंरावि।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्राविप्र) समस्त (बाडमेर को छोडकर)।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)